न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 36/2021 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती नारायणी देवी पत्नी मोतीलाल जी माली पुत्री किशोरलाल जी भोई,निवासीटेकरी, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. किशोरलाल पिता हीरालाल जी भोई (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती नारायणी देवी पत्नी मोतीलाल जी माली पुत्री किशोरलाल जी भोई,निवासी टेकरी, उदयपुर (राज.)

2. मगनलाल पिता गणेशलाल जी टांक, निवासी बड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

3. राजस्थान राज्य जरियेतहसीलदार,बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0
अधिनियम1955विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्डअधिकारी,बड़गांवदिनांक
15.02.2021प्रकरण संख्या 376/2019

–––::–––

उपस्थित (वक्त बहस) :–1–श्री पुष्करलाल लोहार अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री प्रकाश टांक अभिभाषक रेस्पो.सं. 2
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णयदिनांक31–08–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किराजस्व ग्राम बेदला खुर्द में आराजी नंबर 425, 426, 427, 433, 434, 438, 439, 440, 441, 444, 445, 450, 451, 452, 457, 459, 460, 466, 467 कुल किता 19 रकबा 1.8000 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की मौरूसी होकर प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादिया प्रतिवादी संख्या 1 की जाईन्दा पुत्री होने से उक्त आराजियात में उसका भी 1/20 हिस्सा है जिस पर वह मालिक होकर काबिज है। दिनांक 18–08–2010 को प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर आये तथा कहा कि प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:19 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 ने उक्त आराजियात का विक्रय दिनांक 26—03—2010 को उसके पक्ष में कर दिया है इसलिए वह जमीन का मालिक हो गया है तथा कब्जा छोड़ने की धमकी दी। वादिया द्वारा जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर पता चला कि उक्त आराजियात में से आराजी नंबर 450 रकबा 0.2500 हैक्टर एवं आराजी नंबर 467 रकबा 0.1500 हैक्टर को छोड़कर शेष आराजियात कुल किता 17 रकबा 1.4000 हैक्टर भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 26—03—2010 कोकर दिया है, जो वादिया के मुकाबले अवैध व शून्य है। अतः वादिया का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात के 1/20 हिस्से का वादिया को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को अवैध व शून्य घोषित किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21—03—2016 को वादिया का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादिया द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत किये जाने पर उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 04—07—2018 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण पुनः निर्णय किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा रिमाण्ड किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15—02—2021 से वादिया का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादियाद्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16—04—2021 कोप्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से उनके अधिवक्ता प्रकाश टांक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 स्वयं उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद दस्तावेजों एवं गवाहों से पूर्णतया साबित कराया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजियात मौरूसी होकर अपीलान्ट/वादिया का भी उसमें 1/20 हिस्सा जन्म से ही निहित है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया के पिता द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा ही निरस्त किये जाने का कथन कर वादिया का वाद खारिज कर दिया, जो निरस्त योग्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन के बाद पुत्रियों को भी पुत्र के समान हक व अधिकार माना गया है, लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:19 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय वडिकी दिनांक 15–02–2021अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट/वादिया द्वारा वाद में चाही गयी दाद उसे दिलायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट/वादिया जब तक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेती, तब तक राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमनेविद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट/वादिया के पिता द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र को शून्यकरणीय माना है। शून्यकरणीय विक्रय विलेख को जब तक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक राजस्व न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादिया किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादिया का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का होने के कारण खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–02–2021यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:19 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती नारायणी देवी पत्नी मोतीलाल बनाम **किशोरलाल पिता हीरा भोई मृतक के बजाय श्रीमती नारायणी देवी पत्नी मोतीलाल माली,**

मली पुत्री किशोरलाल जी भोई, नि0 टेकरी, उदयपुर।

निवासी टेकरी, उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**36 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**बड़गांव**.....मुकाम.....मुवर्खे.....**15**.....माह.....**02**.....**2021**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**31**.....माह.....**08**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री पुष्करलाल लोहार**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री प्रकाश टांक**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.....**अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–02–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .....**X**.....
.
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....**X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**31**.....माह.....**08**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:19 IST
Reason: SelfAttested